



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042020-219169
CG-DL-E-27042020-219169

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1185]
No. 1185]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ. 1329(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72A (छुटमलपुर-गणेशपुर सेक्शन) जिसे नया नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 307 दिया गया है, के 0.000 कि.मी. से 6.940 कि.मी. और 8.7000 कि.मी. से 20.000 कि.मी. तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की

सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72A के 0.000 कि.मी. से 6.940 कि.मी. और 8.7000 कि.मी. से 20.000 कि.मी. तक (छुटमलपुर-गणेशपुर सेक्शन) (पुनर्नामित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 307) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: सहारनपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बेहत					
गांव का नाम: गुडम्ब					
1	282	निजी(निजी)	कृषि	0.0303000(हेक्टेयर)	0.0303000
2	291	निजी(निजी)	कृषि	0.0511000(हेक्टेयर)	0.0511000
3	292	निजी(निजी)	कृषि	0.0183000(हेक्टेयर)	0.0183000
4	313	निजी(निजी)	कृषि	0.0084000(हेक्टेयर)	0.0084000
5	314	निजी(निजी)	कृषि	0.0330000(हेक्टेयर)	0.0330000
गांव का नाम: रसूलपुर कलां					
1	736	निजी(निजी)	कृषि	0.0090000(हेक्टेयर)	0.0090000
2	754	निजी(निजी)	कृषि	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
गांव का नाम: सुन्दर म- था- ईस्म-					
1	2454	निजी(निजी)	कृषि	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
गांव का नाम: थापल ईस्माईलपुर					
1	1250	सरकारी(सरकारी)	गैर कृषि	0.0416000(हेक्टेयर)	0.0416000
2	4109	निजी(निजी)	कृषि	0.0730000(हेक्टेयर)	0.0730000
कुल				0.3467	0.3467

[फा. सं NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3A1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O.1329(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.72A (Chutmalpur-Ganeshpur Section) renamed as NH-307, on the stretch from Km 0.000 to Km 6.940 and Km. 8.700 to Km. 20.000 in the district of SAHARANPUR in the State of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Saharanpur, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 6.940 and Km 8.700 to Km. 20.000 (Chutmalpur-Ganeshpur Section) of National Highway No.72A (renamed as NH-307) in the district of SAHARANPUR in the State of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SAHARANPUR		
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Behat					
Village: Gudamb					
1	282	Private	Agriculture	0.0303000(Hectare)	0.0303000
2	291	Private	Agriculture	0.0511000(Hectare)	0.0511000
3	292	Private	Agriculture	0.0183000(Hectare)	0.0183000
4	313	Private	Agriculture	0.0084000(Hectare)	0.0084000
5	314	Private	Agriculture	0.0330000(Hectare)	0.0330000
Village: Rasulpur Kalan					
1	736	Private	Agriculture	0.0090000(Hectare)	0.0090000

2	754	Private	Agriculture	0.0120000(Hectare)	0.0120000
Village: Sundarpur M. Th. Ism.					
1	2454	Private	Agriculture	0.0700000(Hectare)	0.0700000
Village: Thapal Ismaelpur					
1	1250	Government	Non Agriculture	0.0416000(Hectare)	0.0416000
2	4109	Private	Agriculture	0.0730000(Hectare)	0.0730000
Total				0.3467	0.3467

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3A1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.